संख्या-9/2017/आडिट-1-794/दस-2017-329(2)/2017

प्रेषक,

उमा द्विवेदी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0,
लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 22 अगस्त, 2017

विषय :- जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, अलीगढ़ के नये कार्यालय भवन के किराये की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-225/लेखा-1/2017-18, दिनांक 10-08-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री अजय कुमार शर्मा, पुत्र श्री हर प्रसाद शर्मा, गार्गी बैल्डिंग वर्क्स, प्रेम नगर, एटा चुंगी, जी0टी0 रोड, अलीगढ़ के भवन, जिसका कारपेट एरिया 120.15 वर्गमीटर है, को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय, अलीगढ़ के उपयोगार्थ किराया 92.93x215=19979.95, पूर्णांक में रू0 19,900/- (रूपये उन्नीस हजार नौ सौ मात्र) प्रतिमाह के दर से भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 03-03-2017 द्वारा निर्गत किराया औचित्य प्रमाण पत्र के परिप्रेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इस सम्बन्ध में भवन स्वामी से 05 वर्षों का अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जाय।

3- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-65 के लेखाशीर्षक-"2425-सहकारिता-101-सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा-03-सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान-17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व के नामे डाला जायेगा।

भवदीया

उमा द्विवेदी
अनु सचिव।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-9/2017/आडिट-1-794(1)/दस-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
3. कोषाधिकारी, अलीगढ़।
4. उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
5. जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, अलीगढ़।
6. श्री अजय कुमार शर्मा, पुत्र श्री हर प्रसाद शर्मा, गार्गी बैल्डिंग वर्क्स, प्रेम नगर, एटा चुंगी, जी0टी0 रोड़, अलीगढ़।
7. वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

उमा द्विवेदी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।